



UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY OF HARYANA GOVERNMENT



TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS LTD.

Registered Office : Plot No. 3. Block N, Green Park (Main), New Delhi


Branch Office: T. C. 34/V2, Cyber Tower, First Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

info@tcdl.in | www.tcdl.in | 9389099999



APPLICATION FORM

TULSIANI
CONSTRUCTIONS
AND DEVELOPERS LTD.



JV PARTNERS
CAPT. CHET RAM SONS



AFFORDABLE HOUSING SCHEME

INSTRUCTIONS TO FILL/ APPLICATION FORM

GENERAL INSTRUCTIONS :

- Only capital letters should be used.
- Application should be filled in black or blue ball pen only.
- Write your name, application number and telephone number at the back of your demand draft/banker's cheque/crossed cheque.
- Paste self attested latest photograph on the application form & sign at the bottom of the application form.
- In case of joint application, paste the self attested latest photographs on the application form & sign at the bottom of the application form.
- Application to be submitted with booking amount through Demand Draft/Banker's cheque/Account Payee cheque to the same place from where collected. Banks Details as per Annexure-2.
- The booking amount shall be deposited vide a single Account Payee cheque/Banker's cheque/demand draft of any bank drawn in favour of "**Tulsiani Constructions and Developers Ltd.**" payable at Delhi/New Delhi.
- Duly completed application in all respects along with the requisite payment should be received on or before the last date for submission of applications. Company shall not be responsible in any manner for delay in receipt of an application for any reason whatsoever beyond the closure time. The payment in the form of NEFT/RTGS/ Net Banking in case of on-line application will be accepted. Payment through credit/debit cards are permitted. In case Applicant(s) has used online application form, booking amount along with Rs.1000/- (inclusive VAT) towards the cost of form to be entered in online form alongwith the completely filled application form.
- The application form should be signed only by the Applicant(s) himself, who wants to get flat/unit under this scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application form. In case the Applicant(s) desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application form.
- The Applicant(s) will be required to intimate the source of payment. For this, he may have to submit a copy of bank pass book, loan documents if raised, duly attested by the Bank Manager.

Note: 1. Only Crossed cheque/ Banker's cheque/ demand draft will be accepted. No cash payment to be made. Company shall not be responsible for any cash payment made by applicant to any person in any circumstances.

2. In case of any confusion or interpretation, English version will be considered for clarification, legal recordings and communications, if any.

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश सामान्य निर्देश :

- केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया जाए।
- आवेदन प्रपत्र केवल काले या नीले बॉल पेन से भरें।
- डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/क्रास चैक के पीछे अपना नाम, आवेदन संख्या तथा टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखें।
- आवेदन प्रपत्र पर अपना स्वयं सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएँ और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- संयुक्त रूप से आवेदन करने की स्थिति में, संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएँ और आवेदन प्रपत्र के सबसे नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- आवेदन बुकिंग राशि के डिमांड ड्राफ्ट/अकाउंट पेई चेक/बैंकर्स चेक द्वारा उसी शाखा में जमा होंगे, जहाँ से आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये गये हैं। विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।
- "तुलसियानी कन्सट्रक्शनस एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड" दिल्ली/नई दिल्ली/के पक्ष में देय अकाउंट पेई चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि किसी भी बैंक द्वारा जारी किया गया हो, के रूप में, बुकिंग राशि जमा करानी होगी।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, अपेक्षित भुगतान राशि सहित आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक, या पूर्व पहुंच जाने चाहिए। कम्पनी आवेदन प्राप्ति की निर्धारित समयावधि के बाद, किसी भी कारण वश आवेदन प्राप्ति में हुई देरी के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाने की स्थिति में, एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के रूप में भुगतान की अनुमति है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान स्वीकार किया जायेगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सहित ऑनलाइन प्रपत्र में भरे गये प्रपत्र शुल्क के साथ बुकिंग राशि 1000/- रुपये (वैट शामिल) जमा करानी होगी।
- आवेदन प्रपत्र केवल आवेदक (कों), जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट/यूनिट प्राप्त करना चाहते हैं, द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की काटा पीटी, मिटाना या ऊपरी लिखाई नहीं होनी चाहिए। आवेदक को यह परामर्श दिया जाता है कि यदि वह कोई परिवर्तन करना चाहता है तो नया आवेदन प्रपत्र भरे।
- आवेदक (कों) से भुगतान के स्रोत की जानकारी मांग सकते हैं, जिसके लिए उसे बैंक पासबुक, ऋण दस्तावेज, यदि लिया गया है तो, की एक प्रतिलिपि जो कि बैंक प्रबन्धक द्वारा विधिवत् सत्यापित हो, जमा करानी होगी।

टिप्पणी: 1. केवल क्रासड चैक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकृत है। किसी भी प्रकार का नगद भुगतान ना किया जाए। आवेदक द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को नगद रूप से किए गए भुगतान हेतु कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

2. किसी भी प्रकार की भ्रांति या व्याख्या के मामले में, यदि कोई हो तो, स्पष्टीकरण, कानूनी अभिलेखबद्ध और पत्र-व्यवहार के लिए अंग्रेजी अनुवादी पर विचार किया जायेगा।

INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF A RESIDENTIAL FLAT/UNIT IN AFFORDABLE GROUP HOUSING PROJECT "EASY IN HOMES" SITUATED IN SECTOR-35, SOHNA, HARYANA

1. The Applicant(s) has applied for allotment of a flats/units in Affordable Group Housing Project in "Easy In Homes" situated in Sector 35, Sohna, Haryana on the land measuring 5.00 acres. The aforesaid project consisting of approx.768 flats/units is being developed by the Company under Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt., Town and Country Planning Department and notified vide Notification dated 19th August 2013. The Licence for this affordable group-housing project has already been issued to the Company vide License No. 69 of 2014.
2. The Applicant(s) is aware of the fact that this application is a mere request by the Applicant(s) for the allotment of a flat/unit in the project and the same may be allotted strictly as per the said policy. Only those applications shall be considered for draw of lots which are complete in all respects and fulfil the criteria mentioned in this application or otherwise provided under the Affordable Housing Policy. All ineligible applications shall be returned within one month of completion of scrutiny along with the 5% booking amount received along with such applications. No interest in such cases shall be paid by the Company. The application of the applicant shall be scrutinized by the Company as per parameters prescribed in the said policy under the overall monitoring of concerned District Town Planner (DTP). It is not possible to check the eligibility of applicant(s) at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their names at their own risk and would not be entitled for allotment of flats, if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.
3. The Applicant(s) understands that booking amount is to be paid along with this application form and the same will not be accepted after the date of closure. In case it is found at any stage that the issue date of payment instrument is after the closure of the scheme, such applications would be summarily rejected and the Applicant(s) would be solely responsible for it. Company would not entertain any such application in draw of lots.
4. That upto 5% of the total number of flats as approved in the building plans may be allotted by the Company to its employees/associates/friends/relatives etc. subject to the disclosure of their name/address and other identification details to the allotment committee and the allotment procedure for such flats shall also be completed along with the draw of flats for general category flats. The rates and eligibility criteria prescribed under this policy shall continue to be applicable on such preferential allotments also and the allotment procedure shall be completed along with general category flats. In case less allotments are made for such preferential category flats, the extra availability shall be merged with general category allotments.

सेक्टर-35, सोहना, हरियाणा में स्थित "ईजी इन होम्स" में किफायती समूह आवासीय परियोजना के अन्तर्गत एक आवासीय फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु निर्देशात्मक नियम व शर्तें:

1. आवेदक (कों) ने, सेक्टर-35, सोहना, हरियाणा में स्थित "ईजी इन होम्स" में किफायती समूह आवासीय परियोजना के अन्तर्गत एक आवासीय फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु 5.00 एकड़ माप के भूखण्ड के लिए आवेदन किया है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किफायती समूह आवासीय योजना, 2013 दिनांकित 19 अगस्त, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से जारी सूचना के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा लगभग 768 फ्लैटों/यूनिटों का विकास किया जा रहा है। इस किफायती समूह आवासीय परियोजना के लिए कम्पनी को पहले ही अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जारी किया जा चुका है, देखें 2014 का अनुज्ञापत्र सं0 69।
2. आवेदक इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि परियोजना के अन्तर्गत फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदक (कों) द्वारा किया गया यह आवेदन एक निवेदन मात्र है तथा उक्त योजना के अनुसार इसे अति नियम निष्ठ तरीके से भी आवंटित किया जा सकता है। भूखण्डों के ड्रॉ के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो सभी प्रकार से पूर्ण हो और इस आवेदन पत्र अथवा किफायती आवासीय योजना के अन्तर्गत दिये गये मानदण्डों को पूरा करते हों। सूक्ष्म जाँच के पश्चात् एक माह के भीतर सभी अपात्र आवेदनों को रद्द कर 5% बुकिंग राशि सहित वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों के विषय में कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला नगर आयोजक (डीटीपी) के सम्पूर्ण निरीक्षण के अधीन उक्त योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कम्पनी द्वारा आवेदक के आवेदन की सूक्ष्म जाँच की जाएगी। प्रपत्र की स्वीकृति के समय आवेदक (कों) की पात्रता की जाँच करना संभव नहीं है। इसलिए जो आवेदन के पात्र नहीं हैं वे अपने स्वयं के जोखिम पर अपना नाम पंजीकृत कराएँ क्योंकि यदि बाद में उन्हें किसी तरह से अयोग्य पाया जाता है तो फ्लैट के आवंटन हेतु उन्हें नामांकित नहीं किया जाएगा।
3. आवेदक (कों) को यह पता होना चाहिए कि आवेदन प्रपत्र के साथ ही बुकिंग राशि का भुगतान किया जाएगा तथा अन्तिम तिथि के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि योजना बन्द होने के बाद यांत्रिक रूपसे भुगतान किया गया है तो ऐसे आवेदनों को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। भूखण्ड के ड्रॉ में ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
4. भवन योजना में अनुमोदित फ्लैटों की कुल संख्या का 5 % कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों/सहभागियों/ मित्रों/संबंधियों आदि के लिए आवंटित किया जा सकता है बशर्ते उनके नाम/पता व पहचान संबंधी अन्य जानकारी आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे फ्लैटों की आवंटन प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के फ्लैटों के ड्रॉ के साथ ही पूरी की जाएगी। योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गई दरें व पात्रता मानदण्ड ऐसे वरीयता दिए जाने वाले आवंटनों पर भी लागू होंगे तथा आवंटन प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के फ्लैटों के साथ ही पूर्ण की जाएगी। ऐसे वरीयता दिए जाने वाले फ्लैटों के लिए आवंटन कम होने की स्थिति में इनके अतिरिक्त उपलब्धता को देखते हुए सामान्य श्रेणी के फ्लैटों के आवंटनों के साथ ही इन्हें मिला दिया जाएगा।

5. The Applicant(s) acknowledges that if the present application is accepted then the allotment of flats shall be done through draw of lots in the presence of a committee consisting of Deputy Commissioner or his representative (at-least of the cadre of Haryana Civil Services), Senior Town Planner (Circle Office), DTP of the concerned district and the representative of Company or as may be determined by DTCP under policy.
 6. The list of successful allottees shall be published in the newspaper and also on the website of DTCP. In case there are any shortcomings in the application of any such successful allottee, he may be granted an opportunity of removing such shortcomings in his application in all respects within a period of 15 days failing which his claim shall stand forfeited. The said 15 days period shall start from the date of publication of the list of successful allottees in the newspaper marking those successful applications with minor deficiencies for information and notice of such applicants/allottees for removing such deficiencies and submit the same to the concerned DTP.
 7. The date of draw of lot will be fixed after receipt of Environment clearance and will be announced through advertisement. It shall be issued by the Developer informing the applicants about the details regarding date/time and venue of the draw of lots in the same newspapers in which the original advertisement was issued. All non-successful applicants shall be refunded back the booking amount within 15 days of holding the draw of lots. If the Company is not in a position to refund the booking amount within the aforesaid period, the Company shall refund the said amount with simple interest at the rate of 10 % per annum calculated for the period beyond 90 days from closure of booking (i.e. 90 days from last date of application of booking) in complete discharge of its obligation. In case of surrender of flat by any successful applicant, an amount of Rs. 25,000/- will be deducted by the Company. Such a flat may be considered by the committee for offer to those applicants falling in the waiting list. The waiting list, for a maximum of 25% of the total number of flats available for allotment, shall be maintained for a period of 2 years after which the booking amount shall be refunded back to the waitlisted applicants, without any interest. If any waitlisted candidate does not want to continue in the waiting list, he may seek withdrawal and the Company shall refund the booking amount within 30 days without imposing any penalty.
 8. The Applicant(s) understands that for getting refund, the Applicant(s) has to clearly mention his bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made by the Developer in the name of the first applicant only and therefore, only his bank account number should be given. This account number and bank particular will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the application form. In case the booking amount has been paid from the account of the firm/company etc. of the Applicant(s) still for the purpose of refund, the Applicant's bank details have to be provided as the same would be printed on
5. आवेदक यदि यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो फ्लैट का आवंटन ड्रा के माध्यम से समिति जिसमें उपायुक्त या उसके प्रतिनिधि (कम से कम हरियाणा लोक सेवा के संवर्ग के), वरिष्ठ नगर आयोजक (मंडल कार्यालय), संबंधित जिले के डीटीपी तथा कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे की उपस्थिति में फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा अथवा डीटीसीपी द्वारा निर्धारित नीति द्वारा किया जाएगा।
 6. सफल आवंटन प्राप्तकर्ता (अलॉटीज़) की सूची समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा डीटीसीपी की वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। ऐसे सफल आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इन त्रुटियों को सभी प्रकार से अपने आवेदन से हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ऐसा न करने पर वह अपने दावे के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा। उक्त 15 दिनों की समयावधि की शुरुआत समाचार पत्र में सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं, जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन करते हुए आवेदन प्रपत्रों में जानकारी देने में छोटी छोटी त्रुटियां की हैं, उनकी सूची तथा ऐसे आवेदकों/आवंटन प्राप्तकर्ताओं हेतु त्रुटियां हटाने संबंधी सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से की जाएगी तथा आवेदक को संबंधित डीटीपी (जिला नगर आयोजक) के समक्ष इसे जमा करना होगा।
 7. ड्रा की तिथि, पर्यावरण अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, डेवलपर द्वारा उन सभी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित की जायेगी, जिनमें मुख्य विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें आवेदकों को ड्रा की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचना दी जायेगी। सभी असफल आवेदकों को भूखण्ड के लिए ड्रा होने के बाद 15 दिनों के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटा दी जाएगी। यदि कम्पनी उपर्युक्त समयावधि के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है तो वह अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए भूखण्ड के लिए हुए आवेदन के अन्तिम तिथि के 90 दिनों के बाद की अतिरिक्त समयावधि (अर्थात् आवेदन प्राप्ति के अन्तिम दिन से 90 दिन) के लिए भी 10% प्रति वर्ष की सामान्य ब्याज दर के हिसाब से उपर्युक्त राशि का भुगतान करेगी। यदि कोई सफल आवेदक फ्लैट छोड़ देता है तो कम्पनी द्वारा 25,000/- रुपये की राशि की कटौती की जाएगी। ऐसे फ्लैटों को समिति प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को देने के विषय में विचार कर सकती है। आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों की कुल संख्या का अधिकतम 25% के लिए 2 वर्ष की समयावधि हेतु प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को बिना किसी ब्याज राशि के बुकिंग राशि वापस लौटा दी जाएगी। यदि कोई प्रतीक्षारत उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं रहना चाहता तो वह अपना नाम वापस ले सकता है और कम्पनी बिना कोई जुर्माना लगाए 30 दिनों के भीतर बुकिंग राशि वापस लौटा देगी।
 8. आवेदक (कों) को यह पता होना चाहिए कि वापस होने वाली राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक (कों) अपना बैंक खाता संख्या स्पष्ट रूप से लिखना होगा। संयुक्त आवेदन होने की स्थिति में डेवलपर द्वारा केवल प्रथम आवेदक के नाम से रिफण्ड किया जाएगा इसीलिए प्रथम आवेदक का बैंक खाता संख्या दिया जाना अनिवार्य है। यह खाता संख्या तथा बैंक विवरण चेक पर मुद्रित होंगे, अतः आवेदक आवेदन प्रपत्र में इन विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें। बुकिंग राशि का भुगतान आवेदक की फर्म/कम्पनी आदि द्वारा किए जाने की स्थिति में तथा रिफण्ड के लिए भी आवेदक के बैंक संबंधी विवरण वही होने चाहिए जो रिफण्ड बैंक पर मुद्रित है और यदि खाता संख्या तथा प्राप्तकर्ता के नाम में कोई असंगति पाई जाती है तो बैंक दस्तावेजों को

refund cheque and in case of mismatch of account number and payee's name, the bank would not clear the instrument. The Applicant(s) is to recheck this before submitting the application form.

पास नहीं करेगा। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र जमा कराने से पूर्व इसकी पुनः जाँच की जानी चाहिए।

9. Applicant(s) understands that following documents are to be submitted for refund in case of surrender/cancellation :

- Original allotment-cum-demand letter issued by the Company in respect of allotted flat/unit.
- Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.
- Photocopy of passbook or bank Manager's/ In-charge's certificate in case there is change in bank particulars from that given in the application form.

10. The applicant(s) agrees and understands that if he either himself or his spouse or any dependent children does not own any flat/unit in any HUDA developed colony/sector or any licensed colony in any of the urban areas in Haryana, UT of Chandigarh and NCT of Delhi, shall be given first preference in the allotment of the flat. Applicant(s) and/or his spouse and/or his dependent children can file only one application in this project. The applicant(s) shall also disclose in writing to the Company whether he or his spouse or any of his dependent children have made any other application for allotment of a flat/unit in any other affordable housing project colony in Haryana. In case, the applicant is successful in more than one colony, he will have choice of retaining one flat only.

11. The Applicant confirms that the information supplied/furnished by him in or pursuant to this Application is correct and all documents supplied for obtaining allotment are authentic and genuine. In case any information given or affidavit documents supplied or representation made by the Applicant(s) for obtaining allotment is found to be false including quoting wrong PAN number or suppressing any material fact at any time whatsoever, the Company shall be entitled to forth with reject/cancel the allotment if made in favour of the Applicant(s) and forfeit the booking amount. In such an event, the Applicant(s) shall not be left with any right, title or interest of any nature in the said Flat and/or the Project and/or against the Company or any of its directors and the Company shall be competent to use, utilize, deal with the aforesaid flat/unit as per the said policy without any hindrance or obstruction from the Applicant(s). In case multiple applications are received from any individual and if by any chance multiple allotments are made in the draw to a particular applicant who has submitted multiple applications in such cases all the allotments to the particular individual would be cancelled and booking amounts shall be forfeited. This will be without prejudice to Company's right to take such other action as may be permissible in law.

12. The Applicant(s) has satisfied himself about the unencumbered right, title and interest of the Company in the land on which the said project is being developed.

9. आवेदक को यह ज्ञात होना चाहिए छोड़े जाने/रद्द होने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे:

- आवंटित फ्लैट/यूनिट के सन्दर्भ में कम्पनी द्वारा जारी किया गया वास्तविक आवंटन सह मांगपत्र।
- आवेदन प्रपत्र में दिए अनुसार, पते में परिवर्तन होने की स्थिति में आवास का प्रमाण।
- आवेदन प्रपत्र में दिए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की स्थिति में पासबुक या बैंक प्रबन्धक/प्रभारी के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

10. आवेदक (कों) यह समझता तथा स्वीकार करता है कि यदि उसका या उसकी धर्मपत्नी अथवा आश्रित किसी बच्चे का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) द्वारा विकसित किसी शहरी क्षेत्र के अनुज्ञप्त (लाइसेंसप्राप्त) कालोनी में या केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना कोई निजी फ्लैट/प्लॉट नहीं है, तो फ्लैट के आवंटन में उसे वरीयता दी जाएगी। आवेदक (कों) को और/या उसकी धर्मपत्नी और/या उसके आश्रित बच्चे इस परियोजना में केवल एक आवेदन ही दे सकते हैं। आवेदक (कों) को कम्पनी के समक्ष लिखित रूप से यह स्पष्ट करना होगा कि हरियाणा में किसी अन्य किफायती आवासीय परियोजना/कालोनी में उसने या उसकी धर्मपत्नी अथवा उसके आश्रित किसी बच्चे ने फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन किया है या नहीं। यदि आवेदक एकाधिक कालोनियों में फ्लैट/यूनिट पाने में सफल होता है तो उसका केवल एक फ्लैट पर ही अधिकार होगा।

11. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आवेदन के सन्दर्भ में उसके द्वारा दिए गए/भरी हुए जानकारी सही तथा आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज प्रामाणिक और वास्तविक हैं। आवेदक द्वारा आवंटन प्राप्त करने के लिए दी गई किसी भी जानकारी जैसे गलत पैन नम्बर भरने या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना अथवा हलफनामा/दस्तावेज या प्रस्तुतिकरण में जो भी हो, में असंगति या असत्य पाया जाने पर कम्पनी द्वारा आवेदक के पक्ष में किए गए आवंटन को तुरन्त अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा और बुकिंग राशि ज़ब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में, आवेदक (कों) उपर्युक्त फ्लैट और/या परियोजना और/या इसके किसी भी निदेशक के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, दावा या हिस्सेदारी का पात्र नहीं होगा और आवेदक की ओर से बिना किसी अवरोध या प्रतिरोध के, कम्पनी उपर्युक्त योजना के अनुसार उक्त फ्लैट/यूनिट का प्रयोग, सौदा कर उससे लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है। यदि किसी आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड विशेष के लिए एकाधिक आवेदन किए जाते हैं और संयोगवश उस आवेदक के लिए ज़ों के माध्यम से एकाधिक आवंटन कर भी दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके सभी आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे तथा वह उसकी बुकिंग राशि भी जब्त कर ली जायेगी। रद्दीकरण की यह प्रक्रिया पूर्णतः पक्षपात रहित व सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होगी और कम्पनी को ऐसे आवेदक के खिलाफ अन्य कोई कानूनी कार्यवाही करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

12. आवेदक (कों) को उस भूखण्ड विशेष पर, जहाँ कम्पनी द्वारा उपर्युक्त परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, कम्पनी के विशेषाधिकारों, दावों तथा हिस्सेदारी को स्वीकार करना होगा।

13. That the Applicant(s) has made this application with full knowledge of the fact that this application as well as the allotment and purchase of the flat/unit is subject to various eligibility criteria and restrictive covenants prescribed by the competent authority under the said policy. The Applicant(s) represents and warrants that he fully meets all the eligibility criteria and undertakes to abide by all the terms and conditions applicable to the allotment and purchase of the said flat/unit under the said scheme/policy.
 14. That the Applicant(s) is aware of the fact that the Company is in the process of developing the Affordable Group Housing Colony on the said land as detailed on its website in terms of the said policy. The carpet area of the flat shall be as mentioned in this application form. The term carpet area shall mean the net usable covered floor area bound within the walls of the flat but excluding the area covered by the walls and any balcony which is approved free-of-FAR, but including the area forming part of kitchen, toilet, bathroom, store and built-in cupboard/ almirah/ shelf, which being usable covered area shall form part of the carpet area. The actual carpet area shall be charged as per final built up area as shown in the declaration deed filed after occupancy certificate. The Applicant(s) is also aware that 4% of the Net Planned Area at 175 FAR is the area for the commercial use by the Company as per the said policy. The said commercial area/ shopping area is to the exclusive ownership and use of the company and application association has no right whatsoever on the same.
 15. That, the Applicant(s) hereby undertakes that he shall abide by all laws, rules, regulations, notifications, terms and conditions of Central Government, Haryana Government, Haryana Urban Development Authority, Registrar of Societies, Local Bodies, taxation, environment, Fire, Explosive, Ground Water, Excise, The Haryana Apartment Ownership Act, 1983 etc. and any alteration(s)/ amendment(s) / modification(s) thereto, and shall be liable for defaults and/or breaches of any of the conditions, rules or regulations as may be applicable to the said project.
 16. The Applicant(s) acknowledges that only one two-wheeler parking site shall be earmarked for an applicant which shall be allotted to him. No car parking shall be allotted to any applicant in the said project. The parking space shall be the integral part of the flat/unit and shall not be used, transferred or dealt with independently of the flat/unit, the balance available parking space, if any, beyond the allocated two-wheeler parking sites, can be earmarked by the Company as free-visitor-car-parking space. The Applicant(s) agrees not to park their vehicle(s) on the pathway or open spaces of the Building / Complex or at any other place except the space exclusively allotted, for its purpose.
13. आवेदक (कों) को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि उसके द्वारा किया गया यह आवेदन, प्लैट/यूनिट का आवंटन व खरीद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित किए गए विभिन्न पात्रता मानदण्ड एवं नियामक प्रतिज्ञा पत्र के अधीन विषय है। आवेदक (कों) को यह प्रस्तुत व प्रमाणित करना होगा कि वह सभी पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है और उपर्युक्त योजना/नीति के अन्तर्गत उपर्युक्त प्लैट/यूनिट के आवंटन व खरीद हेतु लागू सभी नियमों व शर्तों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
 14. आवेदक (कों) को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि कम्पनी अपनी वेबसाइट पर दिए विवरणानुसार उपर्युक्त योजना के नियमों व शर्तों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड पर, किफायती समूह आवासीय कालोनी की विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है। प्लैट का फर्श क्षेत्र (कारपेट एरिया) आवेदन प्रपत्र में दिए अनुसार ही होगा। फर्श क्षेत्र का अर्थ है— प्लैट की चारदीवारी से घिरा वह क्षेत्र जिसका पूर्ण प्रयोग किया जा सके लेकिन उसमें चारदीवारी द्वारा घेरे गए स्थान को और फर्श क्षेत्र अनुपात से मुक्त प्रमाणित की गई बालकनी को भी शामिल नहीं किया जाता लेकिन रसोईघर, शौचालय, स्नानगृह व भण्डार कक्ष जितने क्षेत्र पर निर्मित हैं उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है तथा कपबोर्ड/अलमारी/शेल्फ का प्रयोग किए जाने योग्य क्षेत्र – विस्तार भी फर्श क्षेत्र का ही क्रमबद्ध हिस्सा होता है। वास्तविक फर्श क्षेत्र (कारपेट एरिया) दखल अधिकार प्रमाण पत्र दायर करने के बाद घोषणा विलेख में बताए अनुसार अन्तिम निर्मित क्षेत्र (बिल्ट अप एरिया) में उपयोग किया जा सकता है। आवेदक(कों) को यह भी पता होना चाहिए कि उपर्युक्त योजना के अनुसार कम्पनी द्वारा 175 फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) पर आयोजित वास्तविक क्षेत्र के 4% का वाणिज्यिक प्रयोग किया जाएगा। उक्त वाणिज्यिक क्षेत्र/बाजार क्षेत्र कम्पनी के विशेषाधिकार और एकमात्र स्वामित्व के अधीन होगा तथा आवेदक/संघ को इस क्षेत्र का किसी भी रूप में प्रयोग करने संबंधी कोई अधिकार नहीं है।
 15. आवेदक इसके द्वारा यह आश्वस्त करता है कि वह केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सोसाइटी, स्थानीय निकायों, कराधान, पर्यावरण, अग्नि, विस्फोटक, भूमिगत जल, उत्पाद शुल्क के रजिस्ट्रार हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 आदि के सभी नियमों, उपनियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, नियमों व शर्तों एवं इनमें हुए किसी भी परिवर्तन(नों)/संशोधन(नों)/रूपांतरण(णों) का अनुपालन करेगा तथा उपर्युक्त परियोजना में लागू शर्तों, नियमों या विनियमों में किसी भी प्रकार की चूक तथा/या उल्लंघन होने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 16. आवेदक(कों) को यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल एक दुपहिया वाहन पार्किंग के लिए स्थल अलग से आवंटित किया जाएगा। उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत किसी भी आवेदक को कार पार्किंग के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा। पार्किंग स्थल प्लैट/यूनिट का ही आन्तरिक हिस्सा होगा और प्लैट/यूनिट के साथ स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग, स्थानांतरण या सौदा नहीं किया जाएगा। आवंटित दुपहिया वाहन पार्किंग स्थल के अलावा शेष उपलब्ध पार्किंग स्थल यदि कोई हुआ तो कम्पनी द्वारा आगंतुकों के लिए इसे निःशुल्क कार पार्किंग स्थल बना दिया जाएगा। आवेदक(कों) को यह स्वीकृत करना होगा कि वह अपने वाहनों को, अलग से आवंटित स्थान के अलावा आने जाने के मार्ग या भवन/परिसर के खुले स्थानों पर अथवा किसी अन्य स्थान पर खड़ा नहीं करेंगे।

17. In case present application of the applicant is successful in the said draw of lots, he shall be required to deposit additional 20% amount of the total cost of the flat to the Company at the time of allotment of flat. The balance 75% shall be payable by the Applicant(s) in six equated monthly instalments spread over three-year period with no interest falling due before the due date for payment. Any default in payment by the applicant shall levy interest @15% p.a. If the applicant fails to deposit the installment within the time period as prescribed in the allotment letter issued by the Company, a reminder may be issued to him for depositing the due installment within a period of 15 days from the date of issue of such notice. If the applicant/allottee still defaults in making the payment, the name of such a defaulter may be published in one regional Hindi newspaper for payment of due amount within 15 days from the date of publication of such notice failing which his allotment will be cancelled by the Company. In such cases an amount of Rs. 25,000/- shall also be deducted by the Company and the balance amount shall be refunded to the applicant. Such flat(s) may be considered by the committee for offer to those applicants falling in the waiting list.
17. यदि उपर्युक्त आवंटन के ड्रॉ में आवेदक का मौजूदा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो उसे फ्लैट के आवंटन के समय कम्पनी को फ्लैट के कुल मूल्य का अतिरिक्त 20% भाग जमा कराना होगा। भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व शेष 75% का भुगतान आगामी तीन वर्षों की समयावधि तक छः-छः महीनों की समान किश्तों के साथ बिना किसी देय ब्याज राशि के करना होगा। यदि भुगतान करने में आवेदक से कोई भूल/चूक होती है तो उसे 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना होगा। यदि आवेदक कम्पनी द्वारा जारी आवंटन पत्र में निर्धारित समय के भीतर किश्त जमा नहीं कर पाता है तो उसे ऐसी सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष दये किश्त जमा करने के लिए एक स्मरण पत्र (रिमाइंडर) जारी किया जाएगा। यदि आवेदक/प्राप्तकर्ता भुगतान करने में अब भी कोई चूक करता है तो ऐसे चूककर्ता का नाम सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष देय राशि के भुगतान हेतु क्षेत्रीय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है और फिर भी भुगतान न करने पर कम्पनी द्वारा उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कम्पनी द्वारा 25,000 रुपये की कटौती कर शेष राशि आवेदक(कों) को वापस लौटा दी जाएगी। ऐसे फ्लैट(टों) की प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।
18. The complete set of specifications to be adopted by the Company for finishing/fittings to be provided in the said flat, viz., flooring (rooms, kitchen, toilet & bathroom, balcony, common areas, staircase etc.); door & window frame and panel; kitchen worktop & wall finishing, toilet & bathroom fittings and wall finishings, internal electrical wiring, fittings, electrical points etc., internal public health services-pipes and fittings, sewerage and sanitary fittings, wall finishing, staircase and balcony railings etc., are annexed herewith as "Annexure-I".
18. कम्पनी ने अनुलग्नक-(I) में फिनिशिंग/फिटिंग से संबंधित दिए गए सभी विशेष विवरणों, अर्थात् फ्लोरिंग (कमरों, रसोईघर, शौचालय तथा स्नानगृह, बालकनी, कॉमन एरिया, सीढ़ियों आदि), दरवाजे व खिड़की फ्रेम व पैनल; किचन वर्कटॉप तथा दीवारों की फिनिशिंग, टॉयलेट व बाथरूम में फिटिंग तथा दीवारों की फिनिशिंग, आंतरिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल प्वाइंट आदि आन्तरिक जन स्वास्थ्य सेवाएं – पाईप एवं फिटिंग, सीवरज और सैनिट्री फिटिंग, दीवारों की फिनिशिंग, सीढ़ियों व बालकनी में रेलिंग्स आदि का विवरण किया गया है।
19. All the payments agreed to be made by the Applicant(s) in accordance with the payment plan shall be made by way of cheque demand draft in favour of "Tulsiani Constructions and Developers Ltd.", payable at Delhi / New Delhi subject to realization of cheque / demand draft. In case the Applicant(s) makes the payment by an outstation cheque, then his payment would be deemed to have been received on the date on which the said cheque will get credited into the bank account after deduction of the outstation clearing charges.
19. आवेदक(कों) द्वारा उसकी सहमति से सभी भुगतानों की अदायगी पेमेन्ट प्लान (भुगतान ढाँचे) के अनुसार "तुलसियानी कन्स्ट्रक्शंस एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड" के पक्ष में देय, दिल्ली/नई दिल्ली को भुगतान चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही करनी होगी। यदि आवेदक किसी बाहरी शाखा के चेक के माध्यम से भुगतान करता है तो बाहरी शाखा के चेक के माध्यम से भुगतान करता है तो बाहरी शाखा के क्लीयरिंग (समाशोधन) शुल्क काटने के बाद, जिस तिथि को चेक बैंक खाते में जमा किया गया है उसी दिन आवेदक का भुगतान प्राप्त माना जाएगा।
20. The Applicant(s) shall before taking possession of the said Flat in any manner must clear all the dues towards the allotted Flat and have the Conveyance Deed for the said Flat executed in his favour after paying Registration fee/charges, stamp duty and other charges/expenses. The Applicant(s) shall pay, as and when demanded by the Company, the Stamp duty, Registration charges and all other incidental and legal expenses for execution and registration of Conveyance Deed of the said Flat in favour of the Applicant(s) which shall be executed and got registered after receipt of the total cost of the flat and other dues as specified in this form or Agreement to Sell, as the case may be and the said charges and expenses as may be payable or demanded from the Applicant(s) in respect of the said Flat allotted to him/
20. आवेदक(कों) को किसी भी रूप में उपर्युक्त फ्लैट की पजेशन लेने से पूर्व आवंटित फ्लैट से सम्बन्धित सभी देयताओं को तथा पंजीकरण शुल्क/मूल्य, मुद्रांक शुल्क तथा अन्य मूल्यों/व्यय का भुगतान करने के पश्चात् उपर्युक्त फ्लैट के लिए कन्वेयंस डीड भी सुनिश्चित करना होगा। आवेदक(कों) को अपने उपर्युक्त फ्लैट के वाहन विलेख का कार्यान्वयन व पंजीकरण हेतु जैसे भी जहां भी मांग की जाए वही मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य सभी आकस्मिक एवं विविध व्ययों का भुगतान करना होगा। आवेदक(कों) को आवंटित उक्त फ्लैट की कुल लागत तथा अन्य देयताओं, जैसा कि इस प्रपत्र या बिक्री करार में दिया गया है तथा उपर्युक्त शुल्कों व व्ययों को आवेदक द्वारा दिये जाने या उससे मांगे जाने पर, जैसा भी मामला हो, की प्राप्ति की बाद ही कार्यान्वित व पंजीकृत किया जाएगा। यदि आवेदक मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आकस्मिक और विविध

her. In case the Applicant(s) fails to deposit the Stamp duty, Registration charges and all other incidental and legal expenses etc. so demanded within the period mentioned in the demand letter, the Company shall not be under any obligation to execute the Conveyance Deed. The Applicant(s) undertakes to execute the Conveyance Deed within a period of sixty (60) days from the date of Company intimating in writing the receipt of the certificate for use and occupation of the said building from the competent authority.

खर्चों आदि का भुगतान मांग पत्र में उल्लिखित समयावधि के भीतर नहीं कर पाता है तो कम्पनी वाहन विलेख के कार्यान्वयन हेतु किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त होगी। आवेदक(कों) को सक्षम प्राधिकारी से उक्त बिल्लिंग के प्रयोग व व्यवसायिक प्रयोग हेतु कम्पनी द्वारा लिखित रूप से जारी प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर आवेदक वाहन विलेख कार्यान्वित करने का वचन देता है।

21. That the Company shall sincerely endeavour to offer possession of the said Flat to the Applicant(s) within the validity period of 4 years of sanction/clearance of building plans or receipt of environmental clearance whichever is later subject to the force majeure conditions which inter-alia include strike, lock-out, court injunction, civil commotion or by reason of war, enemy or terrorist action, earth quake, any act of God or delay in grant of completion/occupation certificate by the govt. and/or any other public or competent authority delay in providing basic infrastructure facilities viz. HUDA water & sewer connection or bulk electricity supply or sector roads and subject to the applicant(s) having complied with all the terms of this application form or agreement to sell.
22. The Applicant(s) shall take over the possession of the flat/ unit within a period of 30 days from the date of intimation in writing by the Company failing which the Applicant(s) shall be deemed to have taken the possession of the flat/unit. In such a case the Company shall not be responsible for any loss or damage or trespassing in the said flat/unit.
23. For a period of five years from the date of grant of occupation certificate, the maintenance works and services in relation to the common areas and facilities of the project shall be provided by the Company through itself or its appointed maintenance agency. The Applicant(s) shall pay the water and electricity consumption charges as per actual meter reading and/or pro rata consumption. The Internal maintenance of respective apartment shall be sole responsibility of applicant only. The Developer shall not be responsible for internal maintenance of apartment in any circumstance. After the aforesaid period of 5 years the said project shall be transferred to the 'association of apartment owners' constituted under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 which shall overtake the providing of the maintenance services to the project and thereafter the Company shall have no further obligation to provide any maintenance services in the said project.
24. The Applicant(s) undertakes that he shall become a member of the association of apartment owners that shall be formed under the provisions of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 and shall undertake all necessary steps and do all such acts and deeds including executing necessary documents, declarations, undertakings, deeds etc. as and when required by the Company to do so.

21. कम्पनी का, भवन योजना पर स्वीकृति/अनुमति मिलने या पर्यावरणीय अनुमोदन की प्राप्ति के 4 वर्षों की वैधता अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, अप्रत्याशित घटना जिसमें हड़ताल, तालाबंदी, न्यायालय निषेधाज्ञा, नागरिक विद्रोह की हालत में या युद्ध, शत्रु या आतंकी गतिविधि, भूकम्प, किसी दैवीय आपदा या सरकार तथा/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन की अनुमति/व्यवसाय प्रमाण पत्र विलम्ब से जारी करने के कारण, हुडा द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में देरी अर्थात् पानी व सीवर कनेक्शन या थोक बिजली सप्लाई या सेक्टर रोड विलम्ब होने की स्थिति में भी कम्पनी आवेदक(कों) को उपर्युक्त फ्लैट का पजेशन देने के प्रति एक प्रतिबद्ध है और यह इस दिशा में यह उसका एक सच्चा प्रयास है। अतः आवेदक(कों) को इस आवेदन प्रपत्र में अथवा बिक्री करार से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
22. कम्पनी द्वारा लिखित रूप से आवेदक(कों) को सूचित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फ्लैट/यूनिट का पजेशन अपने अधिकार में लेना होगा ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि आवेदक फ्लैट/यूनिट का पजेशन ले चुका है। ऐसे किसी भी मामले में कम्पनी उक्त फ्लैट/यूनिट में होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
23. ओक्यूपेंसी सर्टीफिकेट प्रदान करने की तिथि से 05 वर्षों के लिए कम्पनी अपने या अपनी द्वारा नियुक्त अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से कॉमन एरिया (सार्वजनिक क्षेत्र) और परियोजना संबंधी सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुरक्षण कार्य व सेवाएं प्रदान करेगी। आवेदक(कों) को वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार, खपत हुए पानी और बिजली के शुल्क का भुगतान एवं/अथवा प्रो-राटा दर पर करना होगा। संबंधित अपार्टमेंट के आंतरिक रख-रखाव की एकमात्र जिम्मेदारी स्वयं आवेदक(कों) की होगी। डेवलपर किसी भी परिस्थिति में अपार्टमेंट के आन्तरिक रख-रखाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और/या उपर्युक्त 5 वर्षों की समयावधि के पश्चात् उक्त परियोजना को हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत गठित अपार्टमेंट स्वामी संघ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है अनुरक्षण सेवाओं को अपने नियंत्रण में ले लेगा और इसके बाद कम्पनी पर उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
24. आवेदक इस बात के प्रति वचनबद्ध है कि वह हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित अपार्टमेंट स्वामी संघ का सदस्य बनेगा तथा सभी आवश्यक कदमों का पालन करते हुए जैसा और जहां भी कम्पनी द्वारा आवश्यक होगा, दायित्व लेगा और ऐसे सभी अधिनियमों एवं कार्यों जैसे आवश्यक दस्तावेज लागू करना, घोषणा, वचन, कार्य आदि का वहन करेगा।

25. The Applicant(s) undertakes to pay cost of Electricity and Water Meter etc. as well as the charges for water and electricity connection/pro rata bulk connection as demanded by Developer at the time of possession of Apartment to applicant.
 26. The Applicant(s) agrees and undertakes to pay on demand all such taxes, cess, levies or assessment including VAT, service tax etc. whether already levied or leviable now or in future in relation to the project.
 27. The Applicant(s) agrees and understands that allotment of the flats shall be done through draw of lots in accordance with the provisions of Affordable Housing Policy and that only such applications shall be considered for draw of lots which are complete and which fulfil the criteria laid down in this policy.
 28. The said flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to any other use. The Applicant(s) shall not be entitled to sub-divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations.
 29. The said Flat along with the building in which the Flat is allotted shall be subject to the provisions of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 or any statutory enactment or modifications thereof. The common areas and facilities and the undivided interest of each Flat owner in the common areas and facilities as specified by the Company in the declaration, which will be filed by the Company in compliance of Haryana Apartment Ownership Act, 1983 shall be conclusive and binding upon the Flat owners.
 30. The Applicant(s) may obtain finance from any financial institution/bank or any other source for purchase of the Flat. The Applicant(s) obligation to purchase the Flat pursuant to this application form shall not be contingent on the Applicant(s) ability or competency to obtain such financing and the Applicant(s) will remain bound under this application form and/or Agreement to Sell whether or not the Applicant(s) has been able to obtain financing for the purchase of the said unit/flat. Further, any refusal/delay by any bank/financial institution in granting financial assistance and /or disbursement of loan or any subsequent installment, on any ground whatsoever, shall not entitle the Applicant(s) to use it as an excuse for delaying or defaulting in making the payment of Installment(s) which have fallen due and any such delay or default in making the payment of the Installment(s), as per the payment plan, shall make the Applicant(s) liable to pay the stipulated Interest @15% p.a.
 31. Notwithstanding anything contained here in, the Applicant(s) hereby unconditionally authorizes and permits the Company to raise finance/loan from any financial institution/bank/lender/financer including by way of equity dilution/assignment, creation of mortgage/charge/claims on or in relation to the said Flat and/or the project, provided that the said Flat shall be free of any encumbrances at the time of execution of conveyance deed for the said Flat in favour of the Applicant(s).
25. आवेदक(कों) को अपार्टमेंट के पजेशन के समय पर डेवलपर को बिजली और पानी के मीटर आदि की लागत का भुगतान करने के साथ-साथ पानी और बिजली के कनेक्शन/प्रो राटा बल्क कनेक्शन शुल्क देना भी अनिवार्य होगा।
 26. आवेदक(कों) को, परियोजना से संबंधित वैट, सेवाकर आदि सहित ऐसे सभी करों, उपकरों, उगाही या कर-मूल्य आदि की मांग किए जाने पर भुगतान करना होगा फिर चाहे मौजूदा समय में इन सबकी उगाही पहले ही की जा चुकी हो या करनी बाकी हो या भविष्य में की जानी शेष है।
 27. आवेदक(कों) को यह मालूम है तथा वह इससे सहमत भी हैं कि किफायती आवासीय योजना के प्रावधानों के अनुसार भूखण्ड के ड्रॉ के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा लेकिन ड्रॉ के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो विधिवत् पूर्ण हो तथा योजना में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हों।
 28. उपर्युक्त फ्लैटों का प्रयोग केवल आवासीय उद्देश्य हेतु किया जाएगा किसी भी अन्य प्रयोग के लिए नहीं। आवेदक(कों) आवास इकाई को अलग अलग भागों में बांटने या किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलकर एक करने अथवा किसी प्रकार की संरचनात्मक परिवर्धन/एकांतरण का अधिकार नहीं होगा।
 29. उपर्युक्त फ्लैटों तथा बिल्डिंग जिसमें आवेदक(कों) को फ्लैट आवंटित किया गया है, दोनों ही हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के प्रावधानों अथवा किसी सांविधिक अधिनियम या परिशोधन के अधीन होगा। कम्पनी द्वारा हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 के अनुपालन हेतु स्वयं के द्वारा भरे जाने वाले घोषणा पत्र में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और सुविधाओं व प्रत्येक फ्लैट स्वामी का इन सार्वजनिक क्षेत्रों व सुविधाओं पर पूरा अधिकार होगा तथा उक्त अधिनियम 1983 सभी फ्लैट मालिकों पर निर्णायक रूप से लागू होगा।
 30. संस्थान/बैंक या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन प्रपत्र के अनुसार दिए गए फ्लैट को खरीदने के इकरार का आवेदक(कों) की वित्त प्रबन्धन योग्यता या क्षमता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि आवेदक इस आवेदन प्रपत्र और/या बिक्री करार के अनतर्गत चाहे तो अपने उक्त फ्लैट/यूनिट को खरीदने हेतु वित्त सहायता/प्रबंध प्राप्त कर सकेगा। किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता तथा ऋण के संवितरण अथवा बाद में किश्त के भुगतान या किसी अन्य कारण, जो भी हो, की वजह से वित्तीय सहायता पर अस्वीकृति/देरी करने पर आवेदक को यह अधिकार है कि वह किश्तों की देरी से अदायगी या अदायगी में चूक होने के बहाने के रूप में इसका प्रयोग करें, जो किश्तें शेष रह गई हैं उनमें हुई देरी या चूक के लिए आवेदक को भुगतान नीति (पेमेंट प्लान) के अनुसार 15% प्रति वर्ष दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा।
 31. इसमें बिना किसी नियंत्रण के आवेदक(कों) को इसके द्वारा बिना किसी शर्त के, किसी भी वित्तीय संस्थान/ बैंक/साहूकार/वित्त विशेषज्ञ (डिपॉजिटर) से, उपर्युक्त फ्लैट और/या परियोजना पर या इसके संबंध में कुछ गिरवी रखकर/शुल्क अदा/दावे कर, कम्पनी को इक्विटी बेचने/सौंपने/वित्तीय सहायता/ऋण उठाने का अधिकार और अनुमति प्रदान की जाती है और आवेदक के पक्ष में उक्त फ्लैट के कन्वेयंस डीड के कार्यान्वयन के समय फ्लैट किसी भी प्रकार ऋण भार से मुक्त होगा।

32. The Applicant(s) agrees that the Applicant(s) shall sign all applications, papers, documents and all other relevant papers as required to sign, in pursuance to the transactions and do all the acts, deeds and things as the Company may require for safeguarding the interest of the Company and/or the Applicant(s) in the project including in particular, the requirement of the Income Tax Act 1961.
33. Upon the allotment of the apartment to the applicant(s), he shall not be entitled to transfer or sell the flat/unit for a period of one year from the date of taking over the possession of the flat/unit. Breach of this condition shall attract penalty equivalent to 200% of the selling price of the flat/unit. The transfer of the flat/unit through execution of irrevocable general power of attorney (GPA) where the consideration amount has been passed to the executor or any one on his behalf, will be considered as sale of the flat/unit and the same will be counted as breach of terms and conditions of the said policy. Penal proceedings as per prescribed provisions shall also be initiated against such an applicant(s). failure to deposit such penalty shall result in resumption of the said flat and it will be re-allotted by the Company in consultation with Town and Country Planning Department, Government of Haryana.
34. The Applicant(s)/deemed allottee shall plan and distribute his and maintain electrical load in conformity with the electrical systems installed by the Company and shall also maintain water and sewage lines passing through his/her apartment free of seepage/leakage. The non-observance of the provisions of this clause shall entitle the Company or the Maintenance Agency to enter the said unit, if necessary and rectify or remove all non-conforming fitting and fixtures at the cost and expense of the Applicant(s). The Applicant(s) shall be liable for any loss or damages arising out of breach of any of the aforesaid conditions.
35. It is specifically understood and accepted by the Applicant(s) that any electrical point/gas point/fire pipes/water pipes/any other related services or any part & structure of walls shall not be tampered with or altered without prior written approval of the Company and the same shall be under regular inspection and clearance by the technical person of the Company or executed by the Company's nominated technical staff only. The Company shall not be liable for any damage /fire/accident caused due to such unauthorized tampering/alteration to the property as well as any damage that may be caused to the building/other people's property. The Applicant(s) shall be solely responsible for any/all consequences arising therefrom.
36. That the structure of the said Building to be constructed in the said project will be got insured against fire, earthquake, riots and civil commotion, militant action etc. by the Company or the maintenance agency on behalf of the Applicant(s) and the cost thereof shall be payable by the Applicant(s) but contents inside each Premises shall be insured by the Applicant(s) at his/her own cost. The Applicant(s) shall not do or permit to be done any act or thing which may render void or voidable insurance of any Flat/Unit in the said Building or any
32. आवेदक(कों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने कार्यवाही के अनुपालन हेतु सभी आवेदनों, कागजातों, दस्तावेजों तथा अन्य सभी संगत पत्रों पर जहां भी आवश्यक है वहां हस्ताक्षर किए हैं तथा आयकर अधिनियम 1961 की आवश्यकतानुसार परियोजना में दिए विवरण सहित कम्पनी और/या आवेदक(कों) के हितों की सुरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा अपेक्षित सभी नियमों, शर्तों, नीतियों का पालन करते हुए सभी कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किए हैं।
33. आवेदक(कों) को फ्लैट आवंटित होने के बाद फ्लैट/यूनिट के हस्तांतरण अथवा बिक्री का अधिकार नहीं रखता। इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर उसे फ्लैट/यूनिट के कुल बिक्री मूल्य का 200% दण्डस्वरूप जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा। अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्तारनामे (जीपीए) जहां कार्यकारी को या उसकी ओर से किसी अन्य को विचाराधीन राशि पास कर दी जाती है तो फ्लैट/यूनिट के हस्तांतरण पर फ्लैट/यूनिट की बिक्री के विषय के रूप में लिया जायेगा और ऐसा होने पर इसे उक्त योजना के नियम व शर्तों के उल्लंघन के रूप में देखा जायेगा। ऐसे आवेदक(कों) के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, दण्डनीय कार्यवाही भी की जाएगी। जुर्माना न भरने पर उपर्युक्त फ्लैट का पुनर्ग्रहण कर लिया जाएगा और कम्पनी द्वारा शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार के परामर्श से इसे पुनः आवंटित किया जाएगा।
34. आवेदक(कों) को कम्पनी द्वारा संस्थापित इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अनुरूप ही अपने इलेक्ट्रिकल लोड की सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर उसका वितरण करना होगा और अपने फ्लैट के पास से गुजरने वाली सीवेज लाईन को टपकने और रिसाव से मुक्त रखेगा। इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न होने पर कम्पनी या अनुरक्षण एजेंसी को उक्त यूनिट में, यदि आवश्यक हुआ तो प्रवेश की अनुमति देकर आवेदक की लागत या व्यय पर सभी गैर-अनुकूल फिटिंग व फिक्सचर को सुधारने या हटाने का अधिकार होगा। आवेदक(कों) द्वारा उपर्युक्त नियमों में से किसी का भी उल्लंघन किए जाने पर कोई हानि अथवा क्षति होने पर स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. आवेदक(कों)/अनुमानित आवंटी ने यह स्पष्टतया समझा व स्वीकार किया है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल प्वाइंट/गैस पाईपों/पानी के पाईपों/किसी अन्य सम्बन्धित सेवाओं में और किसी हिस्से और दीवारों में परिवर्तन या रद्दो-बदल कम्पनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा तथा कम्पनी के तकनीकी कर्मचारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण व क्लीयरेंस के बाद ही अथवा केवल कम्पनी द्वारा नामांकित तकनीकी स्टाफ द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर ही होगा। कम्पनी ऐसे किसी भी अनाधिकृत परिवर्तन/रद्दो-बदल के कारण सम्पत्ति को किसी भी तरह की कोई क्षति/आग/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। आवेदक इस समस्त परिवर्तन प्रक्रिया में किसी भी/समस्त परिणामों का एकमात्र उत्तरदायी होगा।
36. उपर्युक्त परियोजना में आवेदक(कों) की ओर से उसके स्वयं के जोखिम पर कम्पनी या अनुरक्षण एजेंसी उक्त परियोजना में कथित बिल्डिंग की संरचना का निर्माण करेगी जो कि आग, भूकम्प, दंगों तथा नागरिक विद्रोह, आतंकी गतिविधि आदि से सुरक्षित होगी। आवेदक ऐसा कोई भी कार्य या परिस्थिति उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उपर्युक्त बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट/यूनिट को खाली करने या उसके अमान्य बीमा या उससे सम्बन्धित देय

part of the said Building or cause increased premium to be payable in respect thereof for which the Applicant(s) shall be solely responsible and liable.

37. The Applicant(s) agrees to strictly comply with the code of conduct that may be determined by the maintenance agency for occupation and use of the said unit and such other conditions as the maintenance agency may deem fit from time to time which may include but not limited to usage of the unit, operation hours of various maintenance services, general compliances for occupants of the unit, regulation as to entry/exit of the visitors, invitees, guests, security, parking etc. The Applicant(s) understands that the code of conduct as may be specified by the maintenance agency is always subject to change by maintenance agency.

38. That the company has made it specifically clear to the Applicant(s) that the Company shall provide one built-up community hall of not less than 2000 sq. ft. and one built-up anganwadi-cum creche of not less than 2000 sq. ft. as community sites in accordance with the provisions of the said policy.

39. That the Applicant(s) confirms that he has understood each and every clause/covenant of this Application Form and its/their legal implications thereon and has clearly understood his obligations and liabilities and the Company's obligations and limitations as set forth in this Application. The Applicant(s) shall keep the Company and their agents and representatives, estate and effects, indemnified and harmless against any loss or damages that the Company may suffer as a result of non-observance or non-performance of the covenants and conditions of this Application Form.

40. The Company shall endeavour to address and resolve all or any enquiries/complaints/disputes arising out of or relating to or concerning or touching the request/concerns/deficiency of service on part of any Company employees/Application/ Agreement to Sell/Conveyance Deed including the interpretation and validity of the terms thereof and the respective rights and obligations of the parties within reasonable time of raising of/enquiry /concerns/dispute to the Head, Customer Care Department or its nominee. If the concerns are not properly addressed even up to 90 days and all efforts failing, the same shall be referred to arbitration. The said time period is to be contingent on the Applicant(s)' co-operation.

41. All or any disputes arising out of touching upon or relating to the terms of this Application/ Agreement to Sell/ Conveyance Deed including the interpretation and validity of the terms hereof and the respective rights and obligations of the parties, which cannot be amicably settled, shall be settled through arbitration. The arbitration proceedings shall be governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments/modifications thereof for the time being in force. The arbitration proceedings shall be held at the Office of

प्रीमियम में वृद्धि हो। यदि ऐसा होता है तो आवेदक स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा।

37. आवेदक(कों) को उपर्युक्त यूनिट के व्यवसाय तथा प्रयोग हेतु अनुरक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई आचार-संहिता का कड़ा पालन करना होगा तथा अनुरक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर बनाए गए ऐसे अन्य नियमों, जिन्हें यूनिट के प्रयोग, विभिन्न अनुरक्षण सेवाओं के संचालन समय, यूनिट के व्यवसायिकों हेतु सामान्य, अनुपालन, विनियम जैसे कि आगंतुकों, आमंत्रितों, अतिथियों, सुरक्षाकर्मियों, पार्किंग आदि तक ही सीमित नहीं रखा है बल्कि व्यापक रूप से शामिल किया गया है, का भी एकनिष्ठ पालन करना होगा। आवेदक(कों) को यह ज्ञात है कि अनुरक्षण एजेंसी द्वारा उल्लिखित आचार संहिता में परिवर्तन का अधिकार केवल अनुरक्षण एजेंसी को है।

38. कम्पनी ने आवेदक(कों) को स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी है कि उपर्युक्त योजना के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में, कम्पनी एक निर्मित सामुदायिक सभा भवन (कम्युनिटी हॉल) जो 2000 वर्ग फीट से कम माप का नहीं होगा तथा एक आंगनबाड़ी सह क्रेच, जो 2000 वर्ग फीट में बना है, सामुदायिक स्थलों के रूप में प्रदान करेगा।

39. आवेदक(कों) को यह सुनिश्चित करना है कि उसने इस आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक खण्ड, अनुच्छेद/नियमों अनुबंधों को भली प्रकार समझा है और इसके/इनके अर्थ से भी वह भलीभांति परिचित है तथा इस आवेदन में निर्धारित अपने एवं कम्पनी के दायित्वों को भली प्रकार समझा है। इस आवेदन प्रपत्र में दिए नियमों, अनुबंधों का पालन अथवा व्यवहार में न लाए जाने पर कम्पनी को होने वाली हानि या क्षति के लिए आवेदक कम्पनी और उसके अभिकर्ताओं (एजेंटों) व प्रतिनिधियों, चल-अचल सम्पत्ति का सीधा सुरक्षित तरीके से दृढ़तापूर्वक निर्वाह करेगा।

40. कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी/आवेदन/बिक्री-करार/वाहन-विलेख सेवाओं व इससे संबंधित शर्तों की विस्तृत व्याख्या और वैधता तथा पार्टियों के अधिकारों व दायित्वों के साथ, प्रदान की जा रही सेवाओं से उत्पन्न अथवा से सम्बन्धित या की ओर ध्यान आकृष्ट करने अथवा के विषय में निवेदन/महत्व/कमी के बारे में सभी अथवा किसी भी तरह की पूछताछ/शिकायतों/विवादों के उत्पन्न होने के उचित समय के भीतर शीर्ष अधिकारी, ग्राहक सेवा विभाग अथवा इसके किसी मनोनीत अधिकारी को लिखित रूप से सूचित कर इन पूछताछ/शिकायतों/विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि 90 दिनों की समयावधि तक भी इस चिंताजनक विषय की पर्याप्त सूचना नहीं दी जाती है तथा इस दिशा में किए गए सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं तो इस विषय को मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाएगा। उक्त समयावधि सीमा आवेदक(कों) के सहयोग पर निर्भर है।

41 इस आवेदन/बिक्री-करार/वाहन-विलेख जिसमें इससे संबंधित शर्तों की विस्तृत व्याख्या व वैधता तथा पार्टियों के संबंधित अधिकार व दायित्व शामिल हैं, से उत्पन्न या कि विषय में अथवा से सम्बन्धित सभी या किसी भी प्रकार के विवादों, जिनका आपस में निपटान नहीं किया जा सकता, उनका मध्यस्थता के माध्यम से निपटान किया जाएगा। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से मध्यस्थता एवं निपटान अधिनियम, 1996 या किसी संविधिक संशोधन/रूपांतरण, जो भी समय-समय पर लागू किए गए हैं, के माध्यम से ही पूर्ण की जायेगी। मध्यस्था की यह प्रक्रिया कम्पनी के नई दिल्ली स्थित

the Company in New Delhi by a sole arbitrator appointed/referred to for the same. In case of any proceeding, reference etc. touching upon the arbitration subject including any award, the territorial jurisdiction shall be of Real Estate Regulator/DGTCP (if any) consumer forums or the courts at Gurgaon as well as of Punjab and Haryana High Court at Chandigarh.

42. The Applicant(s) shall get registered his communication address and email address with the Company at the time of booking and it shall be the sole responsibility of the Applicant(s) to inform the Company about all subsequent changes, if any, in his e-mail address/ postal address, by e-mail/ registered letter and also obtain a formal specific receipt of the same, failing which all communications letters posted at the first registered e-mail address/ postal address will be deemed to have been received by the Applicant(s) at the time, when those should ordinarily reach such address and he shall be responsible for any default in payment and other consequences that might occur therefrom. In all communications, the reference of the Project and allotted Unit/flat must be mentioned clearly.

Declaration

I/We have fully read and understood the above mentioned terms and conditions and agree to abide by the same. I/We understand that the terms and conditions given above are of indicative nature with a view to acquaint me/us with the terms and conditions as comprehensively set out in the Agreement to Sell which shall to the extent of any inconsistency supersede the terms and conditions set out in this application.

Applicant(s)

Date: _____

Place: _____

कार्यालय में एक मध्यस्थ द्वारा संचालित की जाएगी जिसे संबंधित मामला को भेज दिया जाएगा। किसी अधिनिर्णय के साथ मध्यस्थता के उपर्युक्त विषय के संबंध में कोई प्रक्रिया, रियल एस्टेट नियमन/ डीजीटीसीपी उपभोक्ता मंचों पर नाकाम रहने पर संदर्भ आदि के मामले में न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार चण्डीगढ़ स्थित पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ-साथ गुड़गाँव होगा।

42. आवेदक(कों) को बुकिंग के समय कम्पनी को अपने पत्र-व्यवहार तथा ई-मेल का पंजीकरण कराना होगा और कम्पनी को ई-मेल पते/डाक पते में हुए किसी या सभी परिवर्तनों यदि है तो, की सूचना ई-मेल/पंजीकृत पत्र द्वारा देनी होगी तथा इसके प्रमाणस्वरूप एक औपचारिक पावती भी प्राप्त करनी होगी ऐसा न करने पर सभी तरह के संपर्क/पत्र आवेदक के पहले वाले पते पंजीकृत ई-मेल/डाक पते पर ही भेजे जाएंगे और यह माना जाएगा कि आवेदक(कों) को यथोचित समय पर उनकी प्राप्ति हुई है तथा इस स्थिति में भुगतान में कोई चूक होने एवं अन्य परिणामों के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। आवंटित प्रोजेक्ट व यूनिट/प्लैट का संदर्भ सभी संपर्क माध्यमों में स्पष्टतया उल्लिखित किया जाना चाहिए।

घोषणा:

मैंने/हमने उक्त उल्लिखित सभी नियमों व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा व समझा है और मैं/हम इनका अनुपालन करने के प्रति सहमत हैं। मैं/हम यह समझते हैं कि उपर्युक्त नियम व शर्तें मुझे/हमें बिक्री-करार में विस्तारपूर्वक बताए गए नियमों व शर्तों की जानकारी प्रदान करने के विचार से दिया गया एक निर्देश है, जो इस आवेदन में उल्लिखित नियम व शर्तों का उल्लंघन होने पर उत्पन्न किसी भी पारस्परिक विरोध या असंगति की स्थिति का विस्तार है।

आवेदक

दिनांक: _____

स्थान : _____

UNIT PRICE

1 BHK UNIT (288 Units)		
Carpet Area	340.46 Sqft@ Rs. 3,600/- per sq. ft	Rs. 12,25,656/-
Balcony Area	84.71 Sqft@ Rs. 500/- per sq. ft	Rs. 42,355/-
TOTAL (Rs. Twelve Lacs Sixty Eight Thousand and Eleven and zero paise only)		Rs. 12,68,011/-
2 BHK UNIT (480 Units)		
Carpet Area	505.58 Sqft @ Rs. 3,600/- per sq. ft	Rs. 18,20,088/-
Balcony Area	79.97 Sqft@ Rs. 500/- per sq. ft	Rs. 39,985/-
TOTAL (Rs. Eighteen Lacs Sixty Thousand and Seventy Three and zero paise only)		Rs. 18,60,073/-
Applicable Service Tax and VAT Labour Cess as per Govt. rules shall be payable extra over & above this price.		

(A) Time Linked Interest Free Installment Plan

S.No.	Particular	% of Total Price
1)	At the time of Submission of the Application of Allotment	5% of Total Price
2)	At the time of Allotment of Flat	20% of Total Price
3)	Within Six months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price
4)	Within Twelve months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price
5)	Within Eighteen months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price
6)	Within Twenty Four months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price
7)	Within Thirty months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price
8)	Within Thirty Six months from the date of issuance of Allotment Letter	12.5 % of Total Price + Stamp Duty, Registration & Other Changes (if any)

(B) Construction Linked Interest Free Installment Plan

S.No.	Particular	% of Total Price
1)	At the time of Submission of the Application for Allotment	5% of Total Price
2)	At the time of Allotment of flat	20 % of Total Price
3)	On start of Excavation work	12.50 % of Total Price
4)	On start of Second Floor Roof Slab	12.50% of Total Price
5)	On start of Fifth Floor Roof Slab	12.50% of Total Price
6)	On start of Eight Floor Roof Slab	12.50% of Total Price
7)	On Completion of Structure work	12.50% of Total Price
8)	On Receipt of Occupancy Certificate/At the time of Possession.	12.50% of Total Price + Stamp Duty, Registration & Other Changes (if any)

UNIT PLAN

1BHK



2 BHK



2BHK

(Note :This affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/-and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

AFFIDAVIT (FROM FIRST/SOLE APPLICANT)

I _____ S/D/W/O _____ r/o _____, aged _____ years,

do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That the particulars/information given by me in this Application are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.
2. That I am completely aware of and in agreement with the provisions of Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt., Town and Country Planning Department and notified vide notification no. PF27/48921 dated 19.08.2013 (the Affordable Housing Policy) and undertakes to abide by the provisions of the said policy and any applicable laws, rules, regulations or by-laws made pursuant thereto or otherwise applicable.
3. That I or my spouse or my dependent child(ren) do/do not own a flat or a plot of land in any colony or sector developed by Haryana Urban Development Authority or in any licensed colony in any of the urban areas in Haryana or in the Union Territory of Chandigarh or in the National Capital Territory of Delhi.
4. That I or my spouse or dependent child(ren) have not made an application for allotment of flat in another affordable group housing project in Haryana.

Or

I or my spouse or my dependent child(ren) have made an application for allotment of apartment in another affordable group housing project in Haryana, the details of which (project) are as follows:

Person in whose name application has been made: _____

Name of the affordable group housing project: _____

Location of the said project: _____

Name of developer of the said project: _____

5. I or my spouse or my dependent child(ren) have not been allotted any apartment in another affordable group housing project in Haryana.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at _____ on this _____ day of _____, 2015 that the contents of para Nos. 1 to 5 of above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

(टिप्पणी: यह शपथ रूपये 10/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रूपये 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।)

हलफनामा (प्रथम/एकमात्र एकल आवेदक से)

मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री/विवाहिता _____ निवासी _____

आयु _____ वर्ष, इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक निम्नानुसार यह पुष्ट तथा घोषित करता/करती हूँ:-

1. इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण/जानकारी सत्य व सही हैं तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।
2. यह है कि मैं हरियाणा सरकार के शहर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा जारी किफायती आवासीय योजना, 2013 एवं अधिसूचित अधिसूचना सं0 पीएफ27/48921 दिनांकित 19-08-2013 (किफायती आवासीय योजना) के प्रावधानों के साथ हुए करार के विषय में तथा करार में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है और उपर्युक्त योजना का इसके प्रावधानों तथा अन्य प्रकार से लागू उपनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।
3. यह है कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी भी कालोनी या सेक्टर में अथवा हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञापत (लाइसेंस प्राप्त) कालोनी में या केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना कोई निजी प्लॉट या प्लॉट खरीदा नहीं है।
4. यह है कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किफायती समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लॉट के आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

अथवा

मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किफायती समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लॉट के आवंटन हेतु आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

व्यक्ति, जिसके नाम से आवेदन किया गया है: _____

किफायती समूह आवासीय परियोजना का नाम: _____

उक्त परियोजना की अवस्थिति (लोकेशन): _____

उक्त परियोजना के डेवलपर का नाम: _____

5. मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) को हरियाणा में किसी अन्य किफायती समूह आवासीय योजना में कोई अपार्टमेंट आवंटित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

सत्यापित _____ दिन _____ दिनांक _____ 2015 को यह प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त हलफनामे की अनुच्छेद सं0 1 से 5 तक की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

(Note :This affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/-and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

AFFIDAVIT (FROM SECOND APPLICANT, IF ANY)

I _____ S/D/W/O _____ r/o _____, aged _____ years, do here by solemnly affirm and declare as under:-

1. That the particulars/information given by me in this Application are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.
2. That I am completely aware of and in agreement with the provisions of Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt., Town and Country Planning Department and notified vide notification no. PF27/48921 dated 19.08.2013 (the Affordable Housing Policy) and undertakes to abide by the provisions of the said policy and any applicable laws, rules, regulations or by-laws made pursuant thereto or otherwise applicable.
3. That I or my spouse or my dependent child(ren) do/do not own a flat or a plot of land in any colony or sector developed by Haryana Urban Development Authority or in any licensed colony in any of the urban areas in Haryana or in the Union Territory of Chandigarh or in the National Capital Territory of Delhi.
4. That I or my spouse or dependent child(ren) have not made an application for allotment of flat in another affordable group housing project in Haryana.

Or

I or my spouse or my dependent child(ren) have made an application for allotment of apartment in another affordable group housing project in Haryana, the details of which (project) is as follows:

Person in whose name application has been made: _____

Name of the affordable group housing project: _____

Location of the said project: _____

Name of developer of the said project: _____

5. I or my spouse or my dependent child(ren) have not been allotted any apartment in another affordable group housing project in Haryana.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at on this _____ day of _____, 2015 that the contents of para Nos. 1 to 5 of above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

(टिप्पणी: यह शपथ रूपये 10/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रूपये 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।)

हलफनामा (दूसरे आवेदक से, यदि कोई है तो)

मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री/विवाहिता _____ निवासी _____ आयु _____ वर्ष, इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक निम्नानुसार यह पुष्ट तथा घोषित करता हूँ:-

1. इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण/जानकारी सत्य व सही हैं तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।
2. यह है कि मैं हरियाणा सरकार के शहर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा जारी किरायायती आवासीय योजना, 2013 एवं अधिसूचित अधिसूचना सं0 पीएफ27/48921 दिनांकित 19-08-2013 (किरायायती आवासीय योजना) के प्रावधानों के साथ हुए करार के विषय में तथा करार में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है और उपर्युक्त योजना का इसके प्रावधानों तथा अन्य प्रकार से लागू उपनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।
3. यह है कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी भी कालोनी या सेक्टर में अथवा हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञाप (लाइसेंस प्राप्त) कालोनी में या केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना कोई निजी प्लैट या प्लॉट खरीदा नहीं है।
4. यह है कि मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लैट के आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

अथवा

मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लैट के आवंटन हेतु आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

व्यक्ति, जिसके नाम से आवेदन किया गया है: _____

किरायायती समूह आवासीय परियोजना का नाम: _____

उक्त परियोजना की अवस्थिति (लोकेशन): _____

उक्त परियोजना के डेवलपर का नाम: _____

5. मैंने या मेरी विवाहिता या आश्रित बच्चे(चों) को हरियाणा में किसी अन्य किरायायती समूह आवासीय योजना में कोई अपार्टमेंट आवंटित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

सत्यापित _____ दिन _____ दिनांक _____ 2015 को यह प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त हलफनामे की अनुच्छेद सं0 1 से 5 तक की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

No.

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF A RESIDENTIAL FLAT/UNIT IN "Easy In Homes" AFFORDABLE GROUP HOUSING PROJECT SITUATED IN SECTOR-35, SOHNA ROAD, HARYANA UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY, 2013 ISSUED BY HARYANA GOVT., TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT AND NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. PF27/48921 DATED 19.08.2013

To
M/s Tulsiani Constructions and Developers Ltd.
Plot No.3 Green Park (Main)
New Delhi 110016

PHOTO
APPLICANT 1ST

PHOTO
APPLICANT 2ND

Dear Sir/s,

I/We hereby apply for provisional allotment of One (1) unit/flat in Affordable Group Housing Project known as "Easy In Homes" situated in Sector-35, Sohna, Gurgaon, Haryana (hereinafter called the "Project").

I/We remit herewith a sum of Rs (Rupees) by Bank Draft/Cheque no/RTGS dated drawn on Bank in favour of the Company, being 5% of total cost of flat/unit (booking amount).

The aforesaid project is being developed by M/s Tulsiani Constructions and Developers Ltd. (hereinafter referred to as the 'Company') under Affordable Housing Policy, 2013 issued by Haryana Govt., Town and Country Planning Department notified vide policy No. PF27/48921 dated 19.08.2013, hereinafter referred to as the "said policy". I/We have read and clearly understood the terms and conditions of the said policy.

I/We have clearly understood and agreed that this Application Form will be processed only after encashment of the cheque/draft submitted by me/ us together with the Application Form complete in all respects otherwise the application shall be liable for rejection. The Company will be corresponding with me only on the address/e-mail Id furnished by me in English.

शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किरायायती आवासीय योजना 2013 के अन्तर्गत, सेक्टर 35, सोहना, हरियाणा में स्थित किरायायती समूह आवासीय योजना, देखें अधिसूचना सं. पीएफ 27/48921 दिनांकित 19-08-2013 द्वारा सूचित, किरायायती समूह आवासीय परियोजना 2013 के तहत "ईजी इन होम्स" में आवासीय फ्लैट/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदन-प्रपत्र।

सेवा में,
मैसर्स "तुलसियानी कन्सट्रक्शंस एण्ड डेवेलपर्स लिमिटेड"
प्लॉट नं०-3, ग्रीन पार्क(मेन)
नई दिल्ली 110016.

आवेदक का
नवीनतम फोटोग्राफ

सह-आवेदक का
नवीनतम फोटोग्राफ

महोदय,

मैंने/हमने इसके द्वारा सेक्टर 35, सोहना, गुडगांव, हरियाणा (इसके आगे की कथित परियोजना) में स्थित, "ईजी इन होम्स" की किरायायती समूह आवासीय परियोजना में एक (01) यूनिट/फ्लैट के आवंटन के प्रावधान हेतु आवेदन किया है।

मैं/हम इसके द्वारा कुल (रुपये) बैंक ड्राफ्ट/चैक सं० दिनांकित को बैंक द्वारा जारी, कम्पनी के पक्ष में फ्लैट/यूनिट की कुल लागत (बुकिंग राशि) का 5% प्रेषित करता/करते हूँ/हैं।

उपर्युक्त परियोजना, शहर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किरायायती आवासीय योजना 2013 के अन्तर्गत, देखें अधिसूचित योजना सं० पीएफ 27/48921 दिनांकित 19-08-2013, जैसा कि उक्त योजना में आगे उल्लिखित है, "तुलसियानी कन्सट्रक्शंस एण्ड डेवेलपर्स लिमिटेड" (जैसा कि बाद में कम्पनी से सम्बन्धित बताया गया) द्वारा विकसित की जा रही हैं। मैंने/हमने उक्त योजना से सम्बन्धित नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ी व समझी हैं।

मैं/हम इस तथ्य से परिचित हैं व सहमत भी हैं कि ये आवेदन प्रपत्र, मेरे/हमारे द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए चैक को भुनाने के बाद ही प्रक्रण में लाया जाएगा अन्यथा (चेक न भुनाने की स्थिति में) आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कम्पनी द्वारा दिए गए पते/ई-मेल आईडी पर केवल इंग्लिश में सम्पर्क करेगी।

मेरे/हमारे विवरण निम्नानुसार हैं तथा किसी भी सन्दर्भ व सम्पर्क के लिए इसे रिकॉर्ड में रखा जा सकता है।

First/sole Applicant / प्रथम/एकमात्र आवेदक

Son/Wife/Daughter of / सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री

Resident of / आवास

PIN Code: / पिनकोड:

Telephone No: Mobile No / टेलीफोन: मोबाइल

(I)

(II)

Landline No. / लैंडलाइन नं०

Email ID / ई-मेल आईडी

Nationality / राष्ट्रीयता:

PAN / पैन:

Ward/Circle/Place of Assessment / वार्ड / दायरा (क्षेत्र) / मूल्यांकन का स्थान:

Bank Account Details: / बैंक खाता विवरण:

Residential Status: Resident/Non- Resident Indian/Person of Indian Origin/Non Resident (Please circle whichever is applicable)
आवासीय स्तर आवास / गैर आवासीय भारतीय / भारतीय मूल का व्यक्ति / गैर आवासीय (जो भी लागू हो कृपया उस पर गोल चिह्नित करें)

Address for Correspondence: / पत्र व्यवहार का पता:

PIN Code:

Telephone No: Mobile No / टेलीफोन: मोबाइल

(I)

(II)

Landline No. / लैंडलाइन नं०

Email ID / ई-मेल आईडी

Co-Applicant: / सह आवेदक

Son / Wife / Daughter of: / सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री:

Relation with Joint Applicant: / संयुक्त आवेदक के साथ सम्बन्ध:

Resident of / आवास

PIN Code: / पिनकोड:

Telephone No: Mobile No / टेलीफोन: मोबाइल

(I)

(II)

Landline No. / लैंडलाइन नं०

Email ID / ई-मेल आईडी

Nationality / राष्ट्रीयता:

PAN / पैन:

Ward/Circle/Place of Assessment / वार्ड / दायरा (क्षेत्र) / मूल्यांकन का स्थान:

Bank Account Details: / बैंक खाता विवरण:

Residential Status: Resident/Non- Resident Indian/Person of Indian Origin/Non Resident (Please circle whichever is applicable)
आवासीय स्तर आवास / गैर आवासीय भारतीय / भारतीय मूल का व्यक्ति / गैर आवासीय (जो भी लागू हो कृपया उस पर गोल चिह्नित करें)

I/We understand and agree that, in case of joint applicants (spouse/dependent child(ren)), for all the purposes relating to this Application or otherwise in relation to the Project, the Company shall treat the address for correspondence, as provided by the first applicant above, as also being the address for correspondence of the co-applicant and that any correspondence sent to the said address shall be deemed to have been sent to each of the applicants individually and shall be binding on each of them.

मैं/हम यह समझते व इससे सहमत भी हैं कि इस आवेदन अथवा अन्य किसी प्रकार से इस परियोजना से सम्बन्धित सभी उद्देश्यों हेतु संयुक्त आवेदक (पति/आश्रित/बच्चा(सों)) होने की स्थिति में कम्पनी, प्रथम आवेदक को उसके द्वारा दिए पते जो कि सह आवेदक के पत्र व्यवहार का पता भी वही होने के नाते उपर्युक्त पते पर ही उनसे पत्र व्यवहार करेगी और यदि उक्त पते पर कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो प्रत्येक आवेदक यह समझे कि यह पत्र व्यवहार प्रत्येक आवेदक से किया गया है किसी एक से नहीं तथा यह सबपर अनिवार्य होगा।

The Total Price, as on date hereof and subject to any other applicable term of this application and of the Agreement to Sell, payable by the Applicant(s) to the Company, as the total price towards the allotment and sale of said flat/unit, shall be Rs. _____ (Rupees _____), the computation of which has been provided below:

इस आवेदन की निर्धारित तिथि तक तथा लागू किसी अन्य शर्त एवं बिक्री करार से सम्बन्धित कुल मूल्य का भुगतान उपर्युक्त फ्लैट/यूनिट की बिक्री व आवंटन के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कम्पनी को किया जाएगा। भुगतान राशि _____ (रुपये _____) होगी। जिसकी गणना निम्नानुसार की गई है:

A. Approx Carpet Area of the Flat/Unit Sq.Ft / फ्लैट / यूनिट का कारपेट एरिया लगभग वर्ग फीट _____	Rs 3600/- per Sq. ft. रुपये 3600 प्रति वर्ग फीट	Corresponding Amount तदअनुसार राशि रुपये _____
B. Approx area of balcony Sq.Ft. बालकनी का एरिया लगभग वर्ग फीट _____	Rs 500/- per Sq. ft. रुपये 500 प्रति वर्ग फीट	Corresponding Amount तदअनुसार राशि रुपये _____
TOTAL PRICE / कुल मूल्य (A+B)Rs / (क+ख) ₹ _____ /- (Rupees रूपये _____)		

Signature / हस्ताक्षर

First Sole Applicant / प्रथम/एकमात्र आवेदक

Signature / हस्ताक्षर

Co- Applicant (if any)/ सह आवेदक (यदि कोई है)

DECLARATION /घोषणा :

I/We the undersigned do hereby declare that: मैं/हम अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा यह घोषित करता/करते हूँ/हैं कि :

- (i) The above mentioned particulars/information given by me/us are true and correct to the best of my/our knowledge and nothing material has been concealed therefrom;
मेरे/हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरण/तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य तथा सही हैं तथा वहां से कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- (ii) I/We am/are completely aware of and in agreement with the provisions of Affordable Housing Policy 2013, issued by the Government of Haryana, vide Town & Country Planning Department's Notification dated 19th August 2013 ('the Affordable Housing Policy') and undertake to abide by the applicable provisions of the said policy and any applicable laws, rules, regulations, by-laws or orders made pursuant thereto or otherwise applicable;
मैं/हम हरियाणा सरकार द्वारा जारी किफायती आवासीय योजना 2013, देखें शहर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना, दिनांकित 19 अगस्त, 2013 (किफायती आवासीय योजना) के प्रावधानों के साथ हुए समझौते के विषय में पूर्ण जानकारी है तथा उक्त योजना के लागू प्रावधानों एवं कानून, नियमों, विनियमों, उपनियमों या उसके संदर्भ में बनाए गए अथवा अन्य प्रकार से लागू आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ/हैं।
- (iii) I or my spouse or my/our dependent child(ren) do{ }*/ do not{ }* own a flat or a plot of land in any colony or sector developed by Haryana Urban Development Authority ('HUDA') or in the licensed colony in any of the Urban Areas in Haryana or in the Union Territory of Chandigarh or in the National Capital Territory of Delhi.
मैं अथवा मेरी धर्मपत्नी या मुझ/हम पर आश्रित बच्चा(चें) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) द्वारा विकसित किसी कालोनी या सेक्टर में अथवा हरियाणा के किसी शहरी क्षेत्र की अनुज्ञप्त (लाइसेंस प्राप्त) कालोनी में या केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी किसी निजी प्लॉट या किसी भूखण्ड के मालिक हैं ()/नहीं हैं ()
- (iv) I or my spouse or my/our dependent child(ren) have ()* / have not ()* made an application for allotment of apartment in another affordable group housing project in Haryana.
मैंने या मेरी धर्मपत्नी अथवा मेरे/हमारे बच्चा(चों) ने हरियाणा में किसी अन्य किफायती समूह आवासीय परियोजना के अन्तर्गत अपार्टमेंट के आवंटन हेतु आवेदन किया नहीं किया है.....।
- (v) I/We have attained the age of majority i.e. 18 years on the date of submitting this application.
मैं/हम आवेदन जमा कराने की तिथि तक ब्यस्क आयु अर्थात् 18 वर्ष के हो चुके हैं।
- (vi) I/We am/are not debarred from entering into legally binding contract under any prevailing law.
मुझे/हमें किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत कानूनन बाध्यकारी अनुबन्ध में भाग लेने से बहिष्कृत नहीं किया गया है।

*Please put tick mark in the applicable box and place your signature next to it on the margins of the page.

लागू बॉक्स में सही का निशान लगाएं और पृष्ठ के पार्श्व में दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें।

In the event such other application has been made, please provide the following details in relation to each of the other applications

इस स्थिति में किए गए अन्य आवेदनों के सन्दर्भ में कृपया प्रत्येक आवेदन से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी अवश्य प्रदान करें:

1.	Person in whose name application has been made व्यक्ति, जिसके नाम से आवेदन किया गया है	
2.	Name of the affordable group housing project किफायती समूह आवासीय परियोजना का नाम	
3.	Location of the said project उक्त परियोजना की अवस्थिति	
4.	Name of the developer of the said project and its office address उक्त परियोजना के निर्माता (डेवलपर) का नाम व पता	

Signature /हस्ताक्षर

Signature /हस्ताक्षर

First/Sole Applicant /प्रथम/एकमात्र आवेदक

Co-Applicant, if any /सह आवेदक, यदि कोई है

Enclosures /संलग्नक:

1. Self attested copy of PAN Card
पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि

2. Proof of residence e.g. self attested copy of passport, government identity card, election card, ration card, driving license, telephone bill, electricity bill, water bill, house tax receipt, bank pass book (page carrying name and address), CGHS card or Aadhar Card

आवासीय प्रमाण अर्थात् पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पृष्ठ पर नाम व पता लिखा हो), सीजीएचएस कार्ड या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।

3. Self attested photographs () / स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ ()

4. Affidavit (s) / हलफनामा(में)

Date: / दिनांक: _____

Place: / स्थान _____

Annexure-1/ अनुलग्नक-1

Broad specifications of the apartment/ अपार्टमेंट का विस्तृत विवरण

Flooring Bedrooms/Halls/Kitchen/Toilets/Balconies: Vitrified & antiskid Ceramic Tiles, Wall Finish: Plaster with OBD, Wall tiles: Ceramic Tiles, Kitchen: Slab platform, Single bowl SS sink, Doors: Painted Hard Wood Frame Door, Windows: MS Z-section Frame, Standard Chinaware & CP Fittings, Standard Switches/sockets, Railing: M.S.

फ्लोरिंग बेडरूम/हॉल/किचन/टॉयलेट/बॉलकनी: विड्रीफाईड व एंटीस्कड सेरेमिक टाईल्स, वॉल फिनिश: ओबीडी सहित प्लास्टर, वॉल टाईल्स: सेरेमिक टाईल्स, किचन: स्लैब प्लेटफार्म, सिंगल बाऊल एसएस सिंक, दरवाजे: पेन्टेड हार्ड वुड फ्रेम, खिड़कियाँ: एमएस ज़ेड-सेक्शन फ्रेम, स्टैण्डर्ड चाइनावेअर व सीपी फिटिंग्स, स्टैण्डर्ड स्विच व सॉकेट्स, रेलिंग: एम.एस.।

अनुलग्नक-2

आवेदन प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध है।

Annexure-2

Application Form available at following addresses

Registered Office:

TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS LTD.
Plot no. 3, Block N, Green Park (Main),
New Delhi 110016

Branch Office:

TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS LTD.
TC 34/ V2, Cyber Tower, First Floor,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010.

Serial No.:.....

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Application No.:Dated

Received from Mr/Mrs/Ms.(First applicant)

& Mr/Mrs/Ms.(Co Applicant)

towards allotment of the Apartment in(Affordable Housing Policy) situated at
Sec - 35, Sohna Road,Haryana.

Amount of Rs./- (In Words).....

vide Demand Draft/Cheque/NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card.....

drawn on(Name of Bank) earnest money.

Date :

--	--	--	--	--	--	--	--

Tulsiani Constructions & Developers Limited

*Terms & Conditions Apply

Authorized Signatory

*Subject to realization of payment.